



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

फाइल क्रमांक- 71-2/2023-रा. प्र./25

18.08.2023

अधिसूचना संख्या 01/रा.प्र./2023-24

विषय: राजभाषा कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन।

संदर्भ: माननीय कुलपति द्वारा दिनांक 17.08.2023 को पुनर्गठित।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय की “राजभाषा कार्यान्वयन समिति” का पुनर्गठन किया गया है। इस समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं:-

क्रमांक	नाम एवं पद	
1.	प्रो. रमा शंकर दूबे, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो. संजीव कुमार दुबे, अधिष्ठाता, भाषा साहित्य और संस्कृति अध्ययन संस्थान	सदस्य
3.	प्रो. अतनु महापात्र, निदेशक, आंतरिक गुणवत्ता निर्धारक प्रकोष्ठ	सदस्य
4.	प्रो. विपुल कुमार, प्राध्यापक, हिंदी अध्ययन केंद्र	सदस्य
5.	डॉ. प्रेमलता देवी, सहायक प्राध्यापिका, हिंदी अध्ययन केंद्र	सदस्य
6.	डॉ. संध्या राय, सहायक प्राध्यापिका, हिंदी अध्ययन केंद्र	सदस्य
7.	श्रीमती स्वाति सिंह, हिंदी अधिकारी, राजभाषा प्रकोष्ठ	सदस्य सचिव
8.	सुश्री दीपिका शर्मा, हिंदी अनुवादक, राजभाषा प्रकोष्ठ	सदस्य

यह समिति राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी सभी निर्देशों का पालन एवं इसके प्रचार-प्रसार संबंधी कार्यों को सुनिश्चित करेगी।

डॉ. आ. पटेल
18/08/23

कुलसचिव (कार्यवाहक)

प्रति: (ई-मेल द्वारा)

1. सभी संबंधित सदस्य
2. राजभाषा प्रकोष्ठ
3. कुलपति सचिवालय
4. आईसीटी अध्यक्ष- इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
5. अधिसूचना फाइल



सेक्टर-29, गांधीनगर-382030, फोन नं - 07923977407, फेक्स-07923260076

Sector-29, Gandhinagar, Phone No. 07923977407, Fax-07923260076

Email: registrar@cug.ac.in, website: www.cug.ac.in

